पत्र सं0-12/विविध-6002/15-सा0प्र0-

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

ईमेल/फैक्स प्रेषक,

विमलेश कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी अनुमंडल पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक-

विषयः-बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द करने हेतु लंबित आवेदनों का विधिवत निष्पान ससमय करने के संबंध में ।

प्रसंगः-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का पत्र सं0-1930 दि0 17.04.2018 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा सूचित किया गया है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से निर्गत विभिन्न पत्रों के द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेश के बाबजूद बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द करने हेतु लंबित आवेदनों का विधिवत निष्पान करने में अपेक्षित कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण पात्र लाभुकों को ससमय राशन कार्ड निर्गत नहीं किया जा सका है । सुलभ प्रसंग हेतु प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न है ।

अतः सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रासंगिक पत्र के द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द किये जाने हेतु लंबित आवेदनों का ससमय विधिवत निष्पादित करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

अनु0-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं0-12/विविध-6002/15-सा0प्र0- 6753/दिनांक- 24-5-18

प्रतिलिपि-सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/5/18

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र0–06/विविध–32/2011 1930 खाद्य, पटना/दिनांक–17.04.2018

प्रेषक,

पंकज कुमार
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना ।

J.S(BAS)

4802(1) 19.4.2018

विषय :– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द करने हेतु नाम निर्दिष्ट लोक सेवक अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित करने के संबंध में।

प्रसंग :– सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना –17408 दिनांक 30.12.2016 एवं 11960 दिनांक 15.09.2017 तथा विभागीय पत्रांक – 5827 दिनांक 17.11.2017, 6476 दिनांक 20.12.2017, 676 दिनांक– 08.02.2018 एवं 1132 दिनांक– 06.03.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल तीन नई सेवाओं यथा नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/नाम जोड़ना/नाम हटाना) एवं राशन कार्ड का प्रत्यर्पन/रद्दीकरण के लिए उपर्युक्त वर्णित प्रासंगिक पत्रों के द्वारा उपर्युक्त सेवाओं हेतु नाम निर्दिष्ट लोक सेवक अनुमंडल पदाधिकारियों को समय–समय पर विस्तृत दिशा–निदेश दिया गया है ।

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त प्रासंगिक अधिसूचना में यह वर्णित है कि प्रखंड कार्यालय के RTPS Counter पर प्राप्त आवेदनों को नाम निर्दिष्ट लोकसेवक (प्रखंड विकास पदाधिकारी) द्वारा 15 दिनों के भीतर जांचोपरांत अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा । तत्पश्चात् नाम निर्दिष्ट लोकसेवक (अनुमंडल पदाधिकारी) अनुशंसा के साथ प्राप्त आवेदनों को 15 दिनों के भीतर अपेक्षानुसार सत्यापित करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मार्गदर्शी सिद्धांत के आलोक में आवेदनों का निष्पादन करते हुए नया राशन कार्ड निर्गत करेंगे । परन्तु अनुमंडलवार प्रतिवेदन से यह परिलक्षित हो रहा है कि अबतक सभी अनुमंडलों द्वारा मात्र 53676 नये राशन कार्ड ही निर्गत किया गया है (प्रतिवेदन संलग्न)। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उपुर्यक्त प्रासंगिक विभागीय पत्रों द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेश के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण पात्र लाभुकों को ससमय राशन कार्ड निर्गत नहीं किया जा पा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द किये जाने हेतु लंबित आवेदनों का विधिवत निष्पादित करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
17/4/2018
सरकार के सचिव ।

अनु0 :– यथोक्त ।

D:\Year-2017\SECTION-06\Vividh Avt.doc

906
03/05/18